रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-39/2016/570/22-2-2016-17(146)/2015
लखनऊ: दिनांक: 06 अप्रैल, 2016

आदेश

क्रिमिनल रिवीजन संख्या-3180/2015 कैलाश चन्द्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने अपने आदेश दिनांक 08.09.2015 द्वारा प्रमाणित आदेश प्रस्तुति की तिथि से 03 माह के अन्दर सजा के लघुकरण सम्बन्धी आदेश पर विधिनुसार विचार किये जाने के निर्देश दिये गये। उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिद्धदोष अभियुक्त **कैलाश चन्द्र पुत्र श्री धुनीराम, निवासी जयराम नगर, थाना-कोतवाली, जिला-फतेहपुर** जिन्हें **सत्र परीक्षण संख्या-1544/2010** के अन्तर्गत खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 की **धारा-7(1) सपठित धारा-16(1)(9),** के अधीन **दिनांक 11-02-2014** को मा0 ए0सी0जे0एम0 न्यायालय, फतेहपुर द्वारा 06 माह के सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया था। अभियुक्त द्वारा दिनांक 22.08.2015 तक 29 दिनों की सजा काट ली गयी है, शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त अभियुक्त द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, **फतेहपुर** के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर अभियुक्त यदि कारागार में निरूद्ध हो, तो मुक्त कर दिया जाय।

करूणेश कुमार सिंह
अनु सचिव।

संख्या-570(1)/22-2-2016 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर।
3- पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, फतेहपुर।
5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in